



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

कुल 55 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 06 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 27.02.2021 को थाना सदरपुर, तालगांव, मानपुर एवम् इमलिया सुल्तानपुर द्वारा 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 55 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी। विवरण निम्नवत् है-

- 1. थाना सदरपुर द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद-** 1. मुख्तार सिंह पुत्र दारा सिंह नि० सुखावां खुर्द थाना सदरपुर जनपद सीतापुर के कब्जे से कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं० 49/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- 2. थाना तालगांव द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद-** 1. खगेश्वर पुत्र बाबू नि० फत्तेपुरवा थाना तालगांव जनपद सीतापुर के कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं० 67/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- 3. थाना मानपुर द्वारा 02 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद-** 1. पुरवई पुत्र बल्लू नि० मुंडेरी 2. रामचंद्र पुत्र गोकुल नि० मुंडेरी थाना मानपुर जनपद सीतापुर के कब्जे से 5-5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं० 41/21, 42/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- 4. थाना इमलिया सुल्तानपुर द्वारा 02 अभियुक्त के कब्जे से 15 ली० कच्ची शराब बरामद-** 1. विनोद कुमार पुत्र नन्हाराम नि० बीबीपुर 2. मायाराम पुत्र स्व० छोटेलाल नि० भोगीपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर के कब्जे से कुल 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं० 55/21, 56/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।